

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 04 / 2025

दायर तिथि : 30-01-2025

नारदा देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती नारदा देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-10145, दिनांक 17-01-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम नारदा देवी पुत्री अमर सिंह एवं जन्म तिथि 14-09-1974 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कान्टी मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की माता का नाम श्रीमती कमला देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती नारदा देवी पुत्री अमर सिंह, निवासी ग्राम व डा0 कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,  
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 05 / 2025

दायर तिथि : 30-01-2025

सुषमा देवी पत्नी प्रितम सिंह, निवासी ग्राम मझोली सखोली, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सुषमा देवी पत्नी प्रितम सिंह, निवासी ग्राम मझोली सखोली, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9045, दिनांक 12-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री का नाम साक्षी पुत्री प्रितम सिंह एवं जन्म तिथि 11-08-2008 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सखोली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती सुषमा देवी पत्नी प्रितम सिंह, निवासी ग्राम मझोली सखोली, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,  
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 06/2025

दायर तिथि : 30-01-2025

संगीता पुत्री शिविया, निवासी ग्राम बागना, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया संगीता पुत्री शिविया, निवासी ग्राम बागना, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9385, दिनांक 23-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम संगीता पुत्री शिविया एवं जन्म तिथि 08-04-1994 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटा पाब के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है, जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थिया की माता का नाम श्रीमती भज्जी देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया श्रीमती संगीता पुत्री शिविया,

निवासी ग्राम बागना, डा0 हरलोग, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,  
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 07 / 2025

दायर तिथि : 30-01-2025

रवि दत्त पुत्र शन्ती राम, निवासी ग्राम मुनाणा कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी रवि दत्त पुत्र शन्ती राम, निवासी ग्राम मुनाणा कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय केसिस/2024-9384, दिनांक 23-12-2024 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम रवि दत्त पुत्र शन्ती राम एवं जन्म तिथि 11-04-1991 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी की माता का नाम श्रीमती नारदा देवी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असागतन या वकालतन हाजिर आकर उजर/एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी श्री रवि दत्त पुत्र शन्ती राम, निवासी ग्राम मुनाणा कमरऊ, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,  
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,  
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

रामगोपाल पुत्र जीया राम, निवासी ग्राम बाग हाबड़ा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी रामगोपाल पुत्र जीया राम, निवासी ग्राम बाग हाबड़ा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा बाग हाबड़ा व सड़ियार, शजरा नस्ब मौजा बाग हाबड़ा व सड़ियार, आधार कार्ड, परिवार नकल ग्राम पंचायत भजौन, बैंक खाता प्रति, आयकर प्रमाण-पत्र, पोस्ट ऑफिस खाता प्रति सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसके पिता का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन में दया राम पुत्र रामनाथ दर्ज हो गया है, जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ, जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता का नाम उपरोक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन के मौजा सड़ियार में दया राम पुत्र रामनाथ की जगह सही नाम जीया राम पुत्र रामनाथ दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माफत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 03-03-2025 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर एतराज दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-01-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

-----